प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त उप निदेशक मत्स्य,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/
   मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म0पा0वि0अभिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

संख्या– /नियो0शा0/2020–21 दिनांकः 01-9- अगस्त, 2020

विषयः डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि हस्तान्तरण में सर्तकता अपनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप अवगत हैं कि विभाग में संचालित समस्त योजनाओं की धनराशियां डी0बी0टी0 पोर्टल के माध्यम से कोषागार से आहरित कराकर आपके/आहरण वितरण अधिकारी के स्तर से लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि साफ्टवेयर में विभिन्न बैंक शाखाओं के नाम एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड केन्द्रीय रूप से अपलोड हैं तथा आपके स्तर से प्रेषित प्रार्थना–पत्रों में अंकित बैंक शाखाओं के नाम व आई0एफ0एस0सी0 कोड भी समय–समय पर अपलोड कराये जाते हैं जिन्हें अपलोड करने में पूर्णतः सर्तकता बरती जाती है।

आपका/आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व है कि सही व्यक्ति सही बैंक खाते में धनराशि हस्तांतरित हो। कभी कभी ऐसे भी प्रकरण संज्ञान में आते हैं कि धनराशि कोषागार से आहरित हो जाती है तथा बैंक खाता या बैंक आई0एफ0एस0सी0 कोड त्रुटिपूर्ण होने के कारण धनराशि कोषागार के पी0ए0सी0 लेखा शीर्षक में वापस आ जाती है जिसका संज्ञान नहीं लिया जाता तथा विभाग के संज्ञान में रहता है कि धनराशि सम्बन्धित के बैंक खाते में हस्तांतरित हो चुकी है तथा लाभार्थी यह समझता है कि अभी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है जिस कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती है। द्वितीय यह भी त्रुटियां होती हैं कि किसी बैंक का त्रुटिपूर्ण आई0एफ0एस0सी0 कोड के सापेक्ष्य सम्बन्धित बैंक द्वारा उसी नाम के लाभार्थी को धनराशि हस्तांतरित हो जाती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि डी0बी0टी0 पोर्टल एवं यू0पी0कोष के माध्यम से धनराशि हस्तांतरण करने हेतु डाटा अपलोड करते समय आपके अपलोडर एवं आहरण वितरण अधिकारी के तौर पर आपका दायित्व है कि यह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया बैंक खाता, बैंक शाखा का नाम व आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा साफ्टवेयर के माध्यम से प्रदर्शित हो रहे बैंक खाता, बैंक शाखा का नाम व आई0एफ0एस0सी0 कोड समान हैं तभी धनराशि हस्तांतरण करने की अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यदि पोर्टल के माध्यम से अपलोड बैंक शाखा आई0एफ0एस0सी0 कोड में कोई त्रुटि प्रदर्शित हो रही है तो उसका निराकरण अवश्य करा लिया जाय। तद्नुसार ही धनराशि हस्तांतरण की अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चत की जाय।

भवदीय,

(एस0 के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या– 43481 /नि0शा0/ दिनांकः उक्त।

प्रतिलिपि वेब आफीसर, मुख्यालय को पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(एस0 के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।